

23.04.2018

राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री जे०एन०मथुरिया(आर०ए०एस०)

आर.सी.एम.एस 2005 / 00070

अपील संख्या 195 / 2005 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान:- जगन बनाम दुलीचंद

वकील अपीलांट को बार-बार आवाज दिलाई गई। कोई उप० नहीं। अतः अपील अपीलार्थी अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है।

पत्रा० फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे एवं वाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official